न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–46/2022 धारा 144 द0प्र0सं0

अम्बुज प्रसाद वर्मा..प्रथम पक्ष

बनाम्

त्रिभुवन मंडल वगै0..द्वितीय पक्ष

आदेश

28/5/22

दिनांक 20/5/22 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अम्बुज प्रसाद वर्मा बनाम द्वितीय पक्ष के त्रिभुवन मंडल वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा– बड़की सरिया, थाना–सरिया, जिला– गिरिडीह, खाता नं0–69, प्लॉट नं0–1922, रकवा–01 ए0 74 डी0 मध्ये 30.5 डी0, चौहद्दीः उ0–रास्ता, द0–देहचन्द कोयरी वगै0, पू0–प्रसादी रविदास वगै0, प0–प्रसादी रविदास वगै0।

उभय पक्ष उपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

28/5/22

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.22 16:21:35 +05:30
Location: 192.168.43.238